संख्या–68/सं0वि0/2004–36 संस्कृति/2004

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल–देहरादून ।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2004

विषयः–उत्तरांचल में गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–849 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2003 एवं पत्रांक–862/ दिनॉक 17 सितम्बर, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका के विवरणानुसार अंकित–5 गैर सरकारी संस्थाओं को स्तम्भ–5 के विवरण के अनुरूप कुल रू0 6.80 लाख (रूपये छह लाख अस्सी हजार मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	संस्था का नाम	वित्तीय सहायता का उद्देश्य	अनुदान की मांग	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1–	श्री नन्दलाल भारती निदेशक, अहुद्देशीय जनकल्याण विकास समिति, चकराता देहरादून	विलप्त हो रही जौनसारी लोक संस्कृति के संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु वित्तीय सहायता	4,23,690	2.00
2–	श्री प्रेम शर्मा, जगत निवास लोहार वाला सिरमोर मार्ग देहरादून	गढ़वाल क्षेत्र के सांस्कृतिक पौराणिक परम्पराओं हेतु वृत्त चित्र का निर्माण	11,96,000	1.80
3–	श्री एम0 दिलावर, अध्यक्ष, थियेटर ग्रुप, नैनीताल	सांस्कृतिक गतिविधियों की अभिवृद्धि हेतु वाद्य यंत्रों कास्टम्स एवं लाईट एण्ड साउण्ड क्रय हेतु	1,21,425	1.00
4–	श्री भूपाल सिंह चौहान, अध्यक्ष जौनसार बावर लोक कला समिति	देवांचल लोक फिल्मांकन के सम्बन्ध मे अनुदान	50,0000	1.00
5–	श्री सूरत सिंह चौहान, प्रचार सचिव जौनसार बावर पर्वतीय जनजाति कल्या समिति	पौराणिक लोक संस्कृति एवं धार्मिक रीतिरिवाजों पर वीडीओ एलबम तैयार करने हेतु अनुदान	50,0000	1.00
	योग :–			6.80

(रूपये छह लाख अस्सी हजार मात्र)।

2–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय

NIC-191

में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदो पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद व्यय नहीं किया जायेगा।

4– इन संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यो/ प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतियां जैसा लागू है। में पॉच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें ।

5– धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/ अशदान/ राज सहायता मानक मद के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा॰ संख्या–2452 /वि0अनु0–2/2004 दिनॉक 25 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पु0प0सं0– सं0वि0/2004– संस्कृति/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/ अल्मोड़ा।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
6– वित्त अनुभाग–2।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।